कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email Id-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / **295** / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक **21** / 04 / 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 208 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020, 238 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020 एवं 259 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए हैं।

02 / इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 03.05.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।

03 / इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त तीनों आदेशों की कंडिका **"स"** में वर्णित कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तो के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–DM-I(A) दिनांक 15.04.2020 व 16.04.2020 के परिपालन में कंडिका "स" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को भी शर्तो के अधीन पूर्णतया (लॉकडाउन) से छूट प्रदानकी जाती है :–

स– 26. निम्न वस्तुओं / सेवाओं से संबंधित गतिविधियां :–

37. इस कंडिका में "राजमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पम्पों या उसके आस–पास स्थित हो" के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है :–
"राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य राजमार्गों में ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात् नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर टायर मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी"

38. कृषि एवं संबंधित गतिविधियां :–

A. सभी कृषि एवं उद्यानिकी की निम्नानुसार गतिविधियां संचालित रहेंगी जैसे :–

i. किसानों द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य
ii. न्युनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेंसियां
iii. मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडीयां एवं उपमंडीयां, किसानों या किसानों के समुह (एफपीओ) से निजी क्षेत्र द्वारा सीधे कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत क्रय–विक्रय
iv. कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधी स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकानें (सप्लाई चेन) खुली रहेंगी।
v. कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर
vi. खाद / उर्वरक, कीटनाषक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय
vii. फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि / हार्टिकल्चर मशीनरी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय परिवहन
viii. वनक्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघुवनोपज / गैर–काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण, हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण

B. **मछली पालन – निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी :–**

i. मछली पालन संबंधी समस्त गतिविधियां/एक्वाकल्चर उद्योग (जल कृषि), पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग,

ii. हैचरी, पूरक आहार उत्पादन युनिट, व्यवसायिक उत्पादन,

iii. मछली/झींगा के भंडारण एवं परिवहन, मछली बीज/पूरक आहार एवं इन सभी गतिविधियों से जुड़े हुए श्रमिक।

C. **पशुपालन संबंधी निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी :–**

i. दुध एवं दुध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाई चेन

ii. पशु फार्म, कुक्कुट पालन एवं हैचरी तथा पशुपालन गतिविधिया

iii. जानवरों के चारे के निर्माण संबंधित युनिट कच्चे माल की आपूर्ति जैसे – मक्का एवं सोया

iv. पशु गृह जैसे – गौशालाओं का संचालन

39. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल हेतु बोर खनन/हैंडपंप खनन

40. मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी :–

i. सोशल डिस्टेंशिंग तथा चेहरे पर मास्क के अनिवार्य पालन के साथ मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी।

ii. मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

iii. अन्य केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं का कियानवयन जारी रह सकता है तथा मनरेगा के साथ अभिसरण उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।

41. **स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशन, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई, ए.सी. /कूलर रिपेयर इत्यादि की सेवायें**

42. **ईट भट्ठे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो।**

43. **ग्रामीण क्षेत्र अर्थात नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित ढाबा खुलेंगे किन्तु ढाबा संचालक ढाबे में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध करायेंगे।**

04/ उक्त कंडिका "स" के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

05/ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश
–क्रमांक 208/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020
–क्रमांक 238/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020
–क्रमांक 259/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020
के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

21.04.

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
सत्यमेव जयते

पृ.क्रमांक / **295** / क / एस.डब्ल्यू. / 2020

महासमुंद, दिनांक **21** / 04 / 2020

प्रतिलिपि :—

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक महासमुंद को सूचनार्थ।
06. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सर्व विभाग प्रमुख, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सहायक संचालक, जनसंपर्क महासमुंद को समाचार—पत्र में प्रकाशनार्थ।

21.04.

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

सत्यमेव जयते